भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2895

15 दिसम्बर, 2021 के लिए प्रश्न

केन्द्र सरकार की खाद्य योजना

2895. श्री गजेन्द्र उमराव सिंह पटेल:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) केंद्र सरकार द्वारा जनजातीय क्षेत्रों में भोजन और भोजन वितरण के संबंध में कार्यान्वित की जा रही योजनाओं के क्या नाम हैं;

(ख) क्या आकांक्षी जिलों में खाद्यान्न वितरण के संबंध में ब्लॉक स्तर पर कोई नई योजना विचाराधीन है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या जनजातीय ब्लॉकों के लिए खाद्य वितरण के संबंध में कोई नई योजना बनाई गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क) से (ग): सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 को लागू कर रही है जो खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग का मूल अधिदेश है। विभाग का लगभग 97-98% बजटीय आवंटन खाद्य सब्सिडी को जारी करने के लिए किया गया है। विभाग का शेष बजट (लगभग 2-3%) सार्वजनिक वितरण प्रणाली, चीनी क्षेत्र आदि को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से बनी स्कीमों के लिए आवंटित किया जाता है।

यह अधिनियम लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के तहत सर्वाधिक सब्सिडीयुक्त खाद्यान्नों को प्राप्त करने के लिए 75% तक की ग्रामीण और 50% तक की शहरी जनसंख्या, देश की कुल जनसंख्या का 67% को कवरेज प्रदान करता है, इस प्रकार यह लगभग दो-तिहाई की कुल सतही जनसंख्या को कवर करता है। इस अधिनियम के तहत सर्वाधिक कवरेज किया जाता है ताकि समाज के सभी कमजोर और जरूरतमंद लोगों को इसका लाभ सुनिश्चित किया जा सके। जनजातीय वर्गों के लिए इस अधिनियम के तहत कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है। इसके अतिरिक्त, अधिनियम के तहत सिर्फ दो श्रेणियों - केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट सीमा तक अंत्योदय अन्न योजना के तहत कवर किये गए परिवार और राज्य सरकारों द्वारा विकसित मानदंडों के अनुसार शेष परिवारों को प्राथमिकता वाले परिवार - को कवरेज प्रदान किया जाता है। इस अधिनियम के तहत 2.5 करोड़ एएवाई परिवार, जोकि निर्धनतम से निर्धन हैं, को पहले से ही कवर किया गया है। जनजातीय क्षेत्रों के लिए कोई खाद्य योजना विनिर्दिष्ट नहीं की गई है।

******